# सिद्धार्थनगर पुलिस

**सराहनीय कार्य/प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 सिद्धार्थनगर पुलिस।**

***◆थाना मोहाना पुलिस व जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना मोहाना क्षेत्र के ग्राम बर्डपुर नं0-04 टोला निरंजनपुर में बुजुर्ग की हत्या कर शव को ईट से ढ़क कर छिपा देने की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना मे संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त आला क़त्ल बरामद किया गया।***

कल दिनांक 06.08.2025 की सुबह को थाना मोहाना क्षेत्र के ग्राम बर्डपुर नं0-04 टोला निरंजनपुर में बुजुर्ग की हत्या कर शव को ईट के भट्टे में छिपा देने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा थाना मोहाना पुलिस द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया तथा थाना मोहाना पर विजय प्रताप पुत्र अमरीश जायसवाल साकिन दुल्हा सुमाली टोला पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि ब्रिकफिल्ड भट्ठा पर नियुक्त चौकीदार /भण्डारी पर कार्य करने वाले व्यक्ति सुकई गोंड़ पुत्र स्व0 बदरी साकिन निरंजनपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 75 वर्ष कि दिनांक 05.08.2025 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर लाश को ईट के नीचे छिपा दिया गया था। इस तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मोहाना पर मु0अ0स0 121/2025 धारा 103(1),238(ख) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व विश्वजीत शौर्य, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण में रोहित उपाध्याय थानाध्यक्ष मोहाना मय टीम व जनपदीय एसओजी पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित संयुक्त टीम द्वारा उच्चकोटि की पतारसी, सुरागरसी करते हुये वैज्ञानिक/इलेक्ट्रॉनिक तरीको का प्रयोग करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 01.योगेन्द्र 02. किसलावती को **थानाक्षेत्र के हैरैया जंगल पुल के पास** से गिरफ्तार कर सनसनीखेज घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-योगेन्द्र पुत्र सुकई गौड़ साकिन बर्डपुर नं0-04 टोला निरंजनपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 34 वर्ष।

02.किसलावती पत्नी योगेन्द्र साकिन बर्डपुर नं0-04 टोला निरंजनपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 31 वर्ष।

## बरामदगी का विवरण-

01.घटना मे प्रयुक्त आला क़त्ल (01 अदद बांस का ड़ण्डा)

## पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त योगेन्द्र द्वारा पूछताछ में बताया कि उसका पिता शराब पीने का आदि था और पिछले कई सालों से वह जमीन को बेच कर उसी पैसे से शराब पीता था। जिसको लेकर हम लोगो में काफी विवाद होता रहता था। मुझे पता चला कि मेरे पिता दोबारा जमीन बेचने वाले है तो मैं उनको बेचने से मना किया लेकिन वह माने नहीं, जिसको लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ। इसलिए में तंग आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर दिनांक 05.08.2025 की रात्रि को भट्टे पर गया, जहां मेरे पिता सो रहे थे कि मैं डंडे से अपने पिता के सिर पर जान से मारने की नियत से प्रहार कर दिया जिससे वो नीचे गिरे गये। उसके बाद मैने अपने पिता का गला दबाया तथा मेरी पत्नी पैर पकड़ कर दबायी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु हो जाने के बाद हम दोनों मिलकर लाश को घसीटते हुए भट्टे की तरफ ले गए और लाश को ईट से ढ़क कर शव को छिपा दिये ताकि सुबह हो जाने पर शव को ले जाकर नदी में फेंक दिया जाय।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.रोहित उपाध्याय थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

02.जीवन त्रिपाठी एसओजी टीम प्रभारी जनपद सिद्धार्थनगर।

03.उ0नि0 रतीश चंचल पाण्डेय, बिरेन्द्र यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

04.मु0आ0 राजीव शुक्ला, दिलिप कुमार एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

05.आरक्षी वीरेन्द्र तिवारी, रोहित चौहान, सत्येन्द्र यादव एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

06.आऱक्षी सौरभ कुमार, रोहित यादव, अरबिन्द चौहान थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

07.महिला आरक्षी रोमी तिवारी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1,300/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 06-08-2025 को वाद सं0 1293/2002 मु0अ0सं0- 135/2000 धारा-323,324,504 भादवि0 थाना उसका बाजार मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्ता किसमती पत्नी मोती निवासी जोगिया टोला बगही थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1300/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

## प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 07-08-2025 को वाद सं0 147/2002 एनसीआर सं0- 80/1995 धारा-323,504 भादवि0 थाना उसका बाजार मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रसीद पुत्र महातम निवासी सिसहनिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

# प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

**◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 07-08-2025 को वाद सं0 2972/91 मु0अ0सं0 430/1987 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त हरिराम उपाध्याय पुत्र केदार उपाध्याय निवासी मटियरिया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सन्तोष यादव थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

**प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर**

**◆ एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।**

**पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07.08.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र सिद्धार्थनगर मे केन्द्रीय विद्यालय, राजकीय कन्या इण्टर कालेज व थाना क्षेत्र बांसी मे नरकटहा ,मिठवल, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।**

**एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

**01-म0उ0नि0 शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02.महिला मुख्य आरक्षी मधु एण्टी रोमियो स्क्वायड जनपद सिद्धार्थनगर।**

**03. महिला आरक्षी मंजू एंटी रोमियो स्क्वायड जनपद सिद्धार्थनगर।**

**04. आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्क्वायड जनपद सिद्धार्थनगर।**

## प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**थाना उसका बाजार पर आगामी त्यौहार चेहल्लुम, रक्षाबंधन, 15 अगस्त व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी।**

**डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश पर प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में तथा विश्वजीत शौर्य क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण एवं हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के द्वारा आज दिनाँक 07.08.2025 को थाना स्थानीय पर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग किया गया। उच्चाधिकारीगणो से प्राप्त आगामी त्यौहार से सम्बंधित आदेशो/निर्देशो का पालन करने हेतु अपील किया गया।**

## प्रेस नोट दिनांक 07.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**थाना डुमरियागंज पर आगामी त्यौहार चेहल्लुम, रक्षाबंधन, 15 अगस्त व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी।**

**डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश पर प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में तथा बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री प्रकाश यादव प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के द्वारा आज दिनाँक 07.08.2025 को थाना स्थानीय पर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग किया गया। उच्चाधिकारीगणो से प्राप्त आगामी त्यौहार से सम्बंधित आदेशो/निर्देशो का पालन करने हेतु अपील किया गया।**